प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन विश्वभर में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तत्काल और व्यापक रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यह एक ऐसी वैश्विक चुनौती है जिससे निपटने के लिए विश्व स्तर पर व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित देशों में भारत और अन्य विकासशील देश होंगे। इसी वजह से भारत, चीन सहित जी-77 के भागीदार देशों के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाता आ रहा है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस वर्ष दिसम्बर में कोपेनहेगन में आगामी 15वीं कान्फ्रेंश ऑफ पार्टीज में एक बेहद सार्थक और समानता आधारित परिणाम सामने आ सके।

इस पुस्तिका में ऐसे अनेक मुद्दों पर भारत के रुख के बारे में उल्लेख है जिन पर वार्ताओं में चर्चा की जा रही है। भारत के रुख के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, उन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। हम केवल आपसी बेहतर समझदारी से ही एक ऐसे नतीजे पर पहुंच सकते हैं जो विश्व में जलवायु परिवर्तन से चिंतित लोगों की आशाओं के अनुरूप होगा।

(श्याम सरन)
जलवायु परिवर्तन हेतु
प्रधान मंत्री के विशेष दूत

दिनांक 27 फरवरी, 2009

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत के रुख से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.1 कोपेनहेगन के नतीजे के बारे में भारत की क्या अपेक्षाएं है?

उत्तर. कोपेनहेगन में पन्द्रहवीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) का मैनडेट यह है कि बाली एक्शन प्लान (BAP) के तहत जलवायु परिवर्तन के बारे में दीर्घकालीन सहयोग बढ़ाया जाए। यह जलवायु परिर्वतन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन(UNFCCC) पर फिर से वार्ता के बारे में नहीं है।

तेरहवीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सर्वसम्मति से पारित बाली एक्शन प्लान में दीर्घकालीन सहयोग की बात कही गई है जिसके तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी (Mitigation) लाने के लिए कार्रवाई तेज करना है, और जो जलवायु परिवर्तन पहले ही हो चुका है तथा जिसके आगे भी जारी रहने की संभावना है उसके दुष्परिणामों को दूर करने की क्षमता को बढ़ाना है(Adaptation)। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों (Finance) और विकासशील देशों से विकसित देशों को प्रौद्योगिकी (Technology) का हस्तांतरण जरूरी होगा।

हमें उम्मीद है कि कोपेनहेगन का बहुत अच्छा नतीजा सामने आएगा और इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए विश्व-व्यापी सहयोग हासिल होगा। लेकिन यह निष्पक्ष और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही यह **आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं** के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। यह वह सिद्धांत है जिसे समूचे विश्व समुदाय ने एकमत होकर 1992 में ऐतिहासिक रियो शिखर बैठक में संपन्न हुए जलवायु परिर्वतन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में अपनाया था।

भारत एक ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित है और होता रहेगा और वह भी ऐसे समय में जब उसे तरक्की की बड़ी चुनौतियों और अनिवार्यताओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि कोपेनहेगन के नतीजे से हमें न केवल व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास मे तेजी लाने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे एक ऐसी विश्व व्यवस्था भी तैयार होगी जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत विकास के हमारे राष्ट्रीय प्रयासों में मददगार साबित होगी।

प्रश्न.2 भारत अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित करने के विकसित देशों के आह्वान का विरोध कर रहा है जबकि वह कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के मामले में अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। यदि भारत और दूसरे "प्रमुख उत्सर्जक" इस संबंध में जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं तो कैसे सहमति मुमकिन हो सकती है?

उत्तर. पहला, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के मौजूदा स्तर के कारण जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है। बल्कि यह भूमण्डलीय वातावरण में संचित ग्रीनहाउस गैसों के लगातार बढ़ रहे असर की वजह से हो रहा है। मौजूदा उत्सर्जन इस समस्या को और बढ़ा ही रहे हैं। यदि कोई चमत्कार हो जाए और कल ही मौजूदा उत्सर्जन घटकर शून्य पर पहुंच जाएं तो भी जलवायु परिवर्तन जारी रहेगा। वातावरण में संचित ग्रीनहाउस गैसों का मुख्य कारण पिछली दो सदियों से भी अधिक समय से विकसित देशों में चलती आ रही कार्बन-आधारित औद्योगिक गतिविधियां हैं। यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में व्यवस्था की गई है कि औद्योगिक देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझते हुए अपने उत्सर्जनों में व्यापक कमी लाएं।

दूसरा, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में ऐसा जरूरी नहीं है कि विकासशील देश अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने का वचन दें। इसके बाद हुए क्योटो प्रोटोकोल जो विकसित देशों, जिन्हें तथाकथित Annex I देश कहा जाता है, के लिए ही लक्ष्य निर्धारित करता है, में भी इस बात को स्वीकारा गया है। यह तो तय है कि विकासशील देशों की सामाजिक और आर्थिक तरक्की की कोशिशों से आने वाले समय में उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में इजाफा होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में भी इस बात को स्वीकारा गया है। **इसके बावजूद, भारत ने पहले ही बता दिया है कि वह अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन साथ ही वह अपने प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को, विकसित देशों के औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जनों से अधिक नहीं होने देगा।** यह हमारे उत्सर्जनों पर एक कारगर रोक है तथा इसमें और भी कमी लाई जाएगी यदि हमारे विकसित भागीदार देश अपने उत्सर्जनों में कमी लाने में और ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं।

<u>तीसरा,</u> भारत को बिल्कुल भी तथाकथित "प्रमुख उत्सर्जक" के रूप में नहीं आंका जा सकता। हमारा मौजूदा प्रति व्यक्ति कार्बनडाइआक्साइड उत्सर्जन केवल 1.1 टन है, जबकि अमरीका का 20 टन से अधिक है और अधिकांश OECD देशों का 10 टन से अधिक है। इसके अलावा, कुल उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से यदि हम तीसरे नम्बर पर भी हों, तो भी पहले और दूसरे नम्बर के देशों के बीच अंतर काफी ज्यादा है। अमरीका और चीन हरेक, दुनिया में 16 फीसदी उत्सर्जन करते हैं, जबकि भारत इतनी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद केवल 4 फीसदी ही उत्सर्जन करता है।

<u>चौथा,</u> भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जलवायु परिर्वतन की दिशा में कार्रवाई, केवल मौजूदा उत्सर्जनों को ध्यान में रखकर नहीं की जा सकती। जलवायु परिवर्तन, जो पहले ही हो चुका है तथा जो निकट भविष्य में इसमें कमी लाने की भरसक कोशिशों के बावजूद जारी रहेगा, के प्रति अनुकूलन का मसला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत पहले से ही जलवायु में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का शिकार हो रहा है जिसके कारण उसे सूखा, बाढ़ और मौसम संबंधी अन्य उग्र बदलावों से जूझना पड़ रहा है। इससे भारत को अनुकूलन पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2 फीसदी खर्च करने को मजबूर होना पड़ रहा है जिसके काफी अधिक बढ़ने की संभावना है। इसलिए कोपेनहेगन पैकेज में ग्रीनहाउस गैसों में कमी की कार्रवाई के अलावा, अनुकूलन पर वैश्विक कार्रवाई को भी शामिल करना होगा।

प्रश्न.3 भारत सन् 2050 तक पूरी दुनिया में उत्सर्जन में 50 फीसदी तक कमी लाने के विशेष लक्ष्य निर्धारित करने का विरोध कर रहा है जबकि यह दिखाने के पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 2^0C की वृद्धि की सीमा (जलवायु परिवर्तन के संभावित विनाशकारी दुष्परिणामों से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय सीमा)के भीतर रखने के लिए यह न्यूनतम अपेक्षित कटौती है। इस रुख से जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक कार्रवाई में रुकावट आती है।

उत्तर. भारत ने अपने स्तर पर जलवायु परिवर्तन न बढ़ने देने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु बहुपक्षीय वार्ताओं का आह्वान किया है। फिर भी, इस तरह का कोई भी लक्ष्य बराबर की जिम्मेदारी के साथ तय किया जाना चाहिए। कोपेनहेगन वार्ता का नतीजा बराबरी के सिद्धांत के आधार पर निकाला

जाना चाहिए और इसमें इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए कि दुनिया के हरेक नागरिक का इस भूमण्डल के पर्यावरणीय संसाधनों पर बराबरी का हक है।

इसके अलावा, दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्य संख्या के आधार से आगे जाकर तय करने होंगे और उसमें विकासशील देशों की उन समाजिक और आर्थिक विकास जरूरतों को शामिल करना होगा जिन्हें जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने "पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता" बताया है।

सन् 2050 तक के लिए कटौती का लक्ष्य तय करते समय विकसित देशों के लिए अंतरिम लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि किस तरह से विभिन्न देशों द्वारा यह कटौती की जाएगी। सन् 2050 तक विश्व में 50 फीसदी तक कटौती का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकसित देशों को उत्सर्जनों में मौजूदा बताई स्थिति के मुकाबले से काफी अधिक कटौती करनी होगी।

प्रश्न.4 ऐसे भी प्रस्ताव हैं कि अल्प विकासशील देशों को छोड़कर सभी विकासशील देशों , को सन् 2020 तक व्यवसाय से होने वाले अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम-से-कम 20 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक कटौती करनी होगी, जबकि विकसित देशों को पूरी तरह इनमें कटौती करनी होगी। इस तरह, इस अलग लागत, जो कि घरेलू संसाधनों से पूरी नहीं की जा सकती, के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व प्रौद्योगिकी सहायता मांगी जा सकती है। क्या भारत इस तर्ज पर समझौता स्वीकार करने के लिए तैयार होगा?

उत्तर. जहां तक भारत का संबंध है, उसने जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्ययोजना की घोषणा की है जिसमें बताया गया है कि सतत विकास और इसके लिए किये जानेवाले उपायों के बारे में उसका क्या दृष्टिकोण है। UNFCCC के तहत बहुपक्षीय वार्ताओं के संदर्भ में, बाली एक्शन प्लान (BAP) में राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कम करने संबंधी यथोचित कार्रवाईयों (NAMAs) की परिकल्पना की गई है जो विकासशील देशों की अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। इसके अलावा BAP में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन कार्रवाईयों (NAMAs) के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ-साथ क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायता दी जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि अनुकूलन हेतु अपेक्षित कार्रवाईयों पर समान रूप से जोर दिया जाना चाहिए।

प्रश्न.5 जहां एक ओर भारत अन्य देशों के प्रस्तावों पर आपत्ति उठा रहा है, वहीं उसने अपनी ओर से कोई विचार नहीं रखा है कि कोपेनहेगन पैकेज किस तरह का होना चाहिए। इस तरह से भारत का नकारात्मक रवैया वार्ताओं में बाधक बन रहा है।

उत्तर. भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी मसलों और इनसे निपटने के तरीकों के बारे में अपना दृष्टिकोण रखा है।

भारत का यह विचार है कि धरती का पर्यावरण सभी इंसानों का साझा संसाधन है और दुनिया के हर इंसान को इस पर बराबरी का हक हासिल है। इसलिए, बराबरी के सिद्धांत का यह आशय है कि आनेवाले समय में प्रति व्यक्ति उत्सर्जनों के संबंध में एक सहमति होनी चाहिए। बराबरी के आधार पर ऐसी कोई भी जलवायु परिवर्तन व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी जिसका नतीजा प्रति व्यक्ति उत्सर्जनों पर व्यापक असहमति के रूप में निकले। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में उत्पादन और खपत के तरीकों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही जीवन-शैली से जुड़े मसलों पर भी ध्यान देने की इच्छा-शक्ति पैदा करनी होगी।

भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, जैसा कि हम सभी मानते हैं, एक असाधारण चुनौती है और इसका मुकाबला असाधारण ढंग से करने की जरूरत है। दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों को मिलजुलकर यह कोशिश करनी होगी कि कार्बन-आधारित जैविक ईंधनों पर आधारित उत्पादन तथा खपत के तरीकों को बदलकर, नवीकरण ऊर्जा तथा अकार्बनिक ईधनों पर आधारित तरीकों को अपनाया जाए। हमें एक वैश्विक पैकेज तैयार करना होगा जिसमें:

(क) विकसित देश अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भारी कमी लाने लिए वचनबद्ध हों;

(ख) मौजूदा जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और कार्य-व्यवहारों का सस्ती दरों पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो; और

(ग) विकसित और बड़े विकासशील देश मिल-जुलकर अनुसंधान और विकास प्रयास करें ताकि किफायती और नवीन प्रौद्योगिकियां सामने आएं तथा बदलाव लाने वाली प्रौद्योगिकियां मिले जो विश्व को कार्बन-मुक्त अर्थव्यवस्था की राह पर आगे ले जा सकें।

यह पैकेज उन बाजार तंत्रों और प्रतिस्पर्धी आर्थिक मॉडलों से बेहतर होगा जो खुद अपेक्षित स्तर का परिणाम हासिल करने में समर्थ नहीं हैं।

भारतीय दृष्टिकोण के लिए आईपीआर मुद्दे को उपयुक्त ढंग से सुलझाने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार के लिए मौजूदा जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियां और सामग्रियां, आम सामान के रूप में विकासशील देशों को उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। बहुपक्षीय निधियों से वित्त पोषित ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाई जा सकती है ताकि इनके नवकर्ता(innovator) को नुक्सान न हो। अनुसंधान और विकास के संयुक्त प्रयास को इसी तरह UNFCCC के तहत एक बहुपक्षीय निधि से मदद दी जा सकती है तथा इसके उत्पादों को आम सामान के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि त्वरित और व्यापक प्रसार-प्रसार किया जा सके। अन्य बड़े विकासशील देशों की ही तरह भारत ऐसी किसी भी पहल में एक सक्रिय भागीदार बनना चाहेगा। जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक अपनाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए विकासशील देशों की बड़े पैमाने पर क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी। एक ऐसा कोपेनहेगन पैकेज दुनियाभर के चिंतित नागरिकों को सही नतीजा दे सकेगा जिसमें बहुपक्षीय वित्तीय पैकेज के साथ-साथ ये सभी बातें शामिल होंगी।

भारत ने वार्ताओं में विचार किये जा रहे निम्नलिखित हरेक मुद्दे पर UNFCCC के समक्ष लिखित रूप से अपने प्रस्ताव रखे हैं जिनसे वार्ताओं में रचनात्मक सहयोग मिलेगा। ये हैं:

(i) दीर्घकालिक सहयोगपूर्ण कार्रवाई का प्रस्ताव
(ii) अनुकूलन संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने का प्रस्ताव
(iii) UNFCCC के अंतर्गत वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय ढांचा
(iv) प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान तंत्र पर प्रस्ताव
(v) बाली एक्शन प्लान (BAP) के पैराग्राफ 1(b) (ii) के तहत विकासशील देशों द्वारा उत्सर्जन कम करने संबंधी कार्रवाईयों पर प्रस्ताव
(vi) बाली एक्शन प्लान (BAP) 1(b)(i) के तहत मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) पर प्रस्ताव

(vii) बाली एक्शन प्लान (BAP) के तहत विकासशील देशों में पेड़ों की कटाई में कमी (REDD), सतत् वन प्रबंधन (SFM), और वृक्षारोपण तथा पुनः वृक्षारोपण (A&R) पर प्रस्ताव

(viii) विकासशील देशों की राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त कार्रवाइयों पर प्रस्ताव

(ix) वित्तीय प्रवाहों के संबंध में प्रस्ताव(UNFCCC के वित्तीय तंत्र में आर्थिक अंशदानों को "सहायता" के रूप में क्यों नहीं रखा जा सकता)

ये प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। जैसे-जैसे वार्ताएं आगे बढ़ेंगी और प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।

भारत, चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं में कई प्रकार से रचनात्मक सहयोग देने के लिए चीन सहित G77 भागीदारों के साथ शामिल हो गया है।

प्रश्न.6 भारत ने विश्व बैंक के अंतर्गत जलवायु निवेश निधियां स्थापित करने और Cap and Trade System in carbon जैसे बाजार तंत्रों से संभावित वित्तीय प्रवाह पर नकारात्मक रुख अपनाया है। यह उसकी इस मांग के विरुद्ध है कि विकसित देश, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराएं ताकि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें।

उत्तर. भारत ने उपर्युक्त वित्तीय तंत्रों पर कोई नकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। हमने तो यही कहा है कि जलवायु परिर्वतन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के संदर्भ में इन्हें केवल मददगार के रूप में देखा जा सकता है। यह भी मानना होगा कि बाजार तंत्र की अपनी सीमाएं हैं। इन्हें UNFCCC के तहत अनुकूलन और कमी दोनों के लिए बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र की एवज के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसे तंत्र के अंर्तगत निधियों की उपलब्धता, निधियों अर्थात अनुदानों के सकल हस्तांतरण के रूप में होगा और इनका वितरण इस कन्वेंशन के पक्षकारों द्वारा गठित बहुपक्षीय ढांचे के अधीन किया जाएगा। अनुकूलन निधि की स्थापना के समय इसे स्वीकार किया जा चुका है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकासशील देशों को वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, जैसा कि UNFCCC के तहत निर्धारित है, में प्राप्तकर्ता देशों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि स्रोत देशों की प्राथमिकताओं को।

जलवायु परिवर्तन हेतु वित्तीय सहायता को Overseas Development Assistance (ODA) के दूसरे रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे

बराबरी की व्यवस्था के तहत विकासशील देशों के हक के भुगतान के रूप में देखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय अंशदान निबल और अतिरिक्त हैं। इन्हें न तो अनुदान के रूप में माना जा सकता है और न ही उस बाजार के अनुसार चलाया जा सकता है जो Annex I देशों द्वारा उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लिए उठाए गए दायित्वों पर निर्भर होता है।

प्रश्न.7 एक तरफ भारत ने जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की है, दूसरी तरफ वह विश्व जलवायु परिवर्तन समझौते में अपनी वचनबद्धताएं नियत करने के लिए इस योजना के तहत विशिष्ट कार्रवाई के प्रस्तावों का विरोध कर रहा है। इस विरोधाभास को किस तरह समझाया जा सकता है?

उत्तर. जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसमें उसके आठ मिशन शामिल हैं, सतत विकास की उसकी अपनी एक घरेलू योजना है। हरेक मिशन के तहत विशिष्ट योजनाएं हैं और जहां संभव है वहां उनके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये योजनाएं भारत की उस सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वह पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत विकास के लिए जरूरी समझता है। ऐसी कार्रवाई, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं अथवा कानूनी दायित्वों, जो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, से काफी हटकर है। एक अंतर्राष्ट्रीय करार में, करार करने वाले पक्षों के हितों के संतुलन का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई को ही इसमें जोड़कर नहीं देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी राष्ट्रीय योजना के तहत नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल न कर पाने के जो नतीजे होंगे, वे किसी अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत उसी तरह के कानूनी दायित्व का अनुपालन न करने के नतीजे से काफी अलग होंगे। दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती। दरअसल, राष्ट्रीय अपेक्षाओं के लिए की जाने वाली कोशिशों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन की व्यवस्था से करने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है।

इसके अलावा, भारत द्वारा अपने संसाधनों तथा बिना किसी बाह्य सहायता से की गई राष्ट्रीय कार्रवाइयों और बाली एक्शन प्लान (BAP) के तहत निर्धारित कार्रवाइयों, जिन्हें प्रौद्योगिकी, वित्तीय और क्षमता निर्माण की मदद मिलेगी, में काफी अंतर है।

प्रश्न.8 भारत के लिए राष्ट्रीय आधार पर उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को स्वीकार कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह कार्बन और ऊर्जा प्रधान उद्योगों के लिए क्षेत्रीय आधार पर ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करने का विरोध क्यों कर रहा है? अलग-अलग देशों के अलग-अलग आर्थिक विकास के स्तरों को ध्यान में रखते हुए इन लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है। इससे विकसित देशों का वह डर दूर होगा कि उनके द्वारा कड़े उत्सर्जन मानक अपनाने से उनके उद्योग बड़े विकासशील देशों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे।

उत्तर. भारत का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है जिसके तहत उसने अनिवार्य ऊर्जा दक्षता मानकों के अनुपालन के लिए 9 ऊर्जा प्रधान उद्योगों को चिन्हित किया है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत भी एक राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सुधार मिशन है। भारत भी अपने उद्योगों को दुनियाभर के उद्योगों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि बेहतर कार्य-व्यवस्थाओं का आदान-प्रदान हो सके और अच्छे प्रबंधन और/अथवा नवीन प्रौद्योगिकी से ऊर्जा दक्षता में सुधार लाया जा सके। लेकिन, क्षेत्रीय आधार पर दक्षता और/अथवा उत्सर्जनों के लिए विश्व मानकों को **कानूनी बाध्यकारी वचनबद्धताओं** के रूप में निर्धारित करना बिलकुल अलग मामला है। पहला, ऐसे मानकों को एक सिंगल बेंचमार्क तक कम नहीं किया जा सकता। एक उद्योग में ही औद्योगिक प्रक्रियाओं में काफी अंतर होता है। कारण हैं, इनपुट के इस्तेमाल में अंतर, अपनाई गई प्रौद्योगिकी में अंतर, कार्यरत कार्मिकों की दक्षता में अंतर तथा वह समग्र सामाजिक और आर्थिक परिवेश जिसमें उत्पादन होता है।

दूसरा, अगर क्षेत्रीय मानकों को तथाकथित ‘‘बराबरी का स्तर’’(level playing field) सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य शुल्क लगाने का आधार बनाया जाता है, जैसा कि तर्क दिया जा रहा है, तो ग्रीन लेबल के तहत संरक्षणवाद बेतहाशा बढ़ जाएगा।

तीसरा, UNFCCC के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धा अथवा बराबरी का स्तर बनाए रखना कोई शर्त नहीं है। ये मुद्दे विश्व व्यापार वार्ताओं से संबंधित हैं, न कि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं से। जलवायु परिवर्तन में इन नए आयामों को शामिल करने से हमारा काम पहले से कहीं अधिक जटिल और मुश्किल हो जाएगा।

जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गंभीर खतरों से निपटने पर जोर दिया जाना चाहिए। इनमें शर्तों को नहीं थोपा जाना चाहिए अथवा विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ नहीं ड़ालना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन वार्ताएं उस समय हो रही हैं जब दुनिया तेजी से वैश्वीकृत होती जा रही है, दुनिया के देश एक-दूसरे से जुड़ गए हैं और विश्व अर्थव्यवस्था परस्पर निर्भर हो गई है। इसलिए, विश्व वार्ताओं में विकास के मुद्दे को केन्द्र में रखना होगा। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई से विश्व को संभ्रांत उत्तर और गरीब दक्षिण के बीच और अधिक नहीं बांटा जाना चाहिए, और इसे ग्रीन लेबल से सही नहीं ठहराना चाहिए। हमें एक ऐसी सहयोगपूर्ण भावना की जरूरत है जो मानवता पर जलवायु परिवर्तन के मंड़राते खतरे को समझे और ऐसे हल तलाशे जिनसे विकासशील देशों की विकास की संभावनाएं बढ़ें न कि घटें। हमारे इस वैश्विक परिवार के सभी सदस्यों का तरक्की और खुशहाली के लाभों पर बराबरी का हक होना चाहिए।

प्रश्न.9 विश्व अभूतपूर्व वित्तीय और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए, ऐसी संभावना है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए अपेक्षित प्रयास, खासकर वित्तीय संसाधनों के मामले में, मददगार साबित नहीं हो सकेंगे। इस बारे में भारत का क्या रुख है?

उत्तर. भारत का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में, खासकर नवीकरण ऊर्जा में, निवेश करने से नए उद्योग लग सकते हैं, नये रोजगार पैदा हो सकते हैं और नई-नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, वित्तीय और आर्थिक संकट के हल का एक हिस्सा होना चाहिए, न कि इसे आहत पहुंचाने का। इसे ध्यान में रखकर ही भारत ने राष्ट्रपति ओबामा की 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की दस वर्ष की नवीकरण ऊर्जा पहल योजना का स्वागत किया है और कहा है कि वह इसका एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए तैयार है।

....